न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—10/2018/225 (2018/00010)

1. लाला पुत्र छीतर, जाति रेगर, निवासी भूडोल, तहसील व जिला ? अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— भागचंद पुत्र लालाराम,
   1/2— रामप्यारी पुत्री लालाराम,
   1/3— ज्ञानचंद पुत्र लालाराम,
   1/4— शान्तिलाल पुत्र लालाराम,
   समस्त निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत, भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
2. खेताराम पुत्र लालाराम, जाति रेगर, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
3. भागचन्द पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।
4. ज्ञानचन्द पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
5. शांतिलाल पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 15.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 15/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमन्त विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.1.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस के अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 286/4687 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 287 रकबा 1.04 है0 में से 0.12 है0 व ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से 0.07 है0 मौके पर रास्ता आमजन के आने जाने हेतु लिया जा रहा है जिसे राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 15.12.2017 को धारा 251—ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 व 287 रकबा 1.04 है0 में से 0.12 है0 ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से 0.12 है0 में आवागमन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 286/4687 का रिकार्डेड खातेदार है । अधी0न्याया0 ने भी यह तो अंकित किया है कि लाला पुत्र छीतर कौम रेगर की खातेदारी आराजी है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया और अधी0न्याया0 ने भी प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है एव ना ही सुनवाई का अवसर दिया है । प्रार्थी की आराजी में से रास्ता दिये जाने से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है । प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि जो भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है उसे ही विस्तारित कर तरमीम का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी ने नियमानुसार जांच कर सम्यक आदेश दिनांक 15.12.2017 को पारित किया है जिससे प्रार्थी के हितों पर जनहित की तुलना में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । निर्धारित राशि भी ग्राम पंचायत द्वारा जमा करा दी गई है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के संलग्न पत्र दिनांक 10.6.2016 सरपंच ग्राम पंचायत बूबानी जो सरपंच ग्राम पंचायत भूडोल को लिखा गया, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पत्र की फोटो प्रति जिसके क्रम संख्या 4 पर गगवाना रोड़ से खोरेडा की ढाणी की 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क स्वीकृत की गई, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2.073 खसरा नंबर 4967/77, 5066/4687, 5067/287 की फोटो प्रतियां, राजस्व नक्शा खसरा नंबर 4967/77, 5066/4687, 5067/287 की फोटो प्रति, खाता संख्या 1107 व 976 जो गै0मु0 आबादी है की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073, खाता संख्या 1105 की आराजी पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम अंकित है की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रतियां पेश कर कथन किया कि उक्त दस्तावेजात पश्चात्वर्ती दस्तावेज है इसलिये पूर्व में प्रस्तुत किया जाना संभव नही था । उक्त दस्तावेजात प्रकरण में सुसंगत है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि तकनीकी आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये वरन् न्याय करने का प्रयास किया जाना चाहिये । पक्षकारान के मध्य विवाद के न्याय संगत निर्णय के लिए उपरोक्त दस्तावेजात महत्वपूर्ण है जिससे न्यायालय को निर्णय में मदद मिलेगी । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 मात्र इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जहां

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

काश्तकारों को अपने खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो उक्त प्रावधानों के तहत रास्ते की मांग की जा सकती है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी भी खातेदार को अपने खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, मात्र प्रार्थी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उससे चुनावी रंजिश निकालने के उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधी0न्याया0 ने बिना प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687 व 287 के खातेदार खेता वल्द छोगा व लाला वल्द छीतर कौम रेगर खातेदार दर्ज है । जब उनके समक्ष इस बाबत् जमाबंदी उपलब्ध थी और प्रार्थी की आराजी में रास्ता चाहा गया था तो प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये ऐसे गैर कानूनी आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे । कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी जो रिकार्डेड खातेदार है उसकी आराजी में से रास्ता कायम किया जा रहा है, न तो उसको पक्षकार बनाया गया और ना ही उसे समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । ऐसी स्थिति में पारित आदेश पूर्णतया दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0आर0डी0 1984 पेज 111 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यह सारी कार्यवाही राजनैनिक द्वैषतावश प्रार्थी के खिलाफ षड़यंत्र के तहत की गई है जबकि धारा 251–ए के तहत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि कौनसी आराजी में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है और ना ही ग्राम पंचायत को कोई रास्ते की आवश्यकता थी । सरपंच को धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं था और ना ही ग्राम पंचायत को किसी रास्ते की आवश्यकता ही थी । धारा 251–ए के तहत खातेदार काश्तकार को अपनी आरजी में कृषि कार्य करने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने हो तो रास्ता कायम करवाने के लिऐ आवेदन कर सकता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वैषतावश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौका मुआयना किया और ना ही वास्तविक रिपोर्ट मौके की तलब की गई । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किया जावे । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर 2016–2017 में उपस्थित होकर ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 287 रकबा 1.04 है0 में से 0.12 है0 व ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से 0.07 है0 मौके पर रास्ता थोराड़ा की ढाणी हेतु आमजन के लिए आने जाने हेतु किये जाने बाबत् धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत आवेदन किया । आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दौराने शिविर तहसीलदार, अजमेर के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687, 287 के खातेदार के रूप में खेताराम वल्द छोगा, लाला वल्द छीतर अंकित किया है तथा ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 के खातेदार के रूप में भागचंद, खेताराम, ज्ञानचंद, शांतिलाल पिता लालाराम अंकित है तथा उक्त दोनों ही ग्राम के रास्ते मौके पर आमजन के उपयोग में लिय जा रहे है व मौके पर रास्ता बना होना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अंकित किया है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष कैम्प में उपथित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें कथन किया है कि उक्त प्रकरण सिविली न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आज इस प्रकरण में सुनवाई नहीं कर आगामी तारीख पेशी हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । अतः प्रकरण में आगामी तारीख नियत कर अवगत कराने की कृपा करावे । इस प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के विचाराधीन होने की जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट ने अधी0न्याया0 में पक्षकार बनने हेतु कार्यवाही नहीं कर अब अपील के माध्यम से अधी0न्याया0 के आदेश को चुनौती दी है । ऐसी स्थिति में अपीलांट अधी0न्याया0 के आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । तहसीलदार ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मुहामी थोराडा की ढाणी में निवास करने वाले लगभग 20 परिवार के सदस्यों के आने जाने बाबत् वर्तमान में जो कच्चा रास्ता खातेदारी भूमि में से हाकर ग्राम मुहामी–गगवाना पक्की संपर्क सड़क में मिलता है । थोराडा की ढीण में निवास करने वाले परिवारों के लिए वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है । कच्चा रास्ता ग्राम मुहामी व भूडोल की खातेदारी भूमि में से होकर गुजरता है जो उक्त ढाणी हेतु लघुतम मार्ग है । रास्ते हेतु कुल 15 बिस्वा खातेदारी भूमि उपयोग में ली जा रही है जिसमें ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 कुल रकबा 1.18 है0 में से 5 बिस्वा भूमि तथा राजस्व ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/468 व 287 कुल रकबा 0.06 है0 व 1. 04 है0 में से 10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है । चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से रास्ते के आदेश पारित किये है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1999 पार्ट–2 पेज 1358, सी0सी0सी0 2016 (4) पेज 242, सी0सी0सी0 2017 (2) पेज 230, 2018 सी0जे0 रेन्ट कन्ट्रोल पेज 137, आर0आर0टी0 2014 पार्ट–2 पेज 1034, आर0एल0डब्लू0 1999 पार्ट–2 पेज 1358, 2016 (4) सिविल कोर्ट केसेज पेज 242 सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत, भूडोल ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर खसरा नंबर 286/4687, 287 एवं खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से रास्ते बाबत् अनुतोष चाहा है । खसरा संख्या 286/4687 रकबा 0. 06 है0 एवं खसरा संख्या 287 रकबा 1.04 है0 के खातेदार खेता वल्द छोगा एवं लाला वल्द छीतर कौम रेगर सा0देह दर्ज है । इसी प्रकार खसरा संख्या 77 रकबा 1.18 है0 भूमि के खातेदार भागचंद, खेताराम, ज्ञानचंद, शांतिलाल पि0 लालाराम कौम रेगर, सा0देह भूडोल खातेदार दर्ज है । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष खेताराम, भागचंद, ज्ञानचंद एवं शांतिलाल पुत्रगण लालाराम जाति रेगर को तो पक्षकार कायम किया है किन्तु लालाराम पुत्र छीतर, जाति रेगर को पक्षकार नियुक्त नहीं किया जबकि विवादित आराजियात खसरा नंबर 286/4687, 287 के खातेदार खतो वल्द छोगा एवं लाला वल्द छीतर खातेदार थे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2017 द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 286/4687 एवं 287 में से रास्ते के आदेश पारित किये है जिससे अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रमाणित होता है । अतः

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि खसरा संख्या 286/4687, 287 के खातेदार खेता वल्द छोगा एवं लाला वल्द छीतर है किन्तु प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट लालाराम एवं खेताराम पुत्र छोगाराम ने दिनांक 28.6.2017 को उपस्थित होकर कैम्प प्रभारी न्याय आपके द्वार, कैम्प भूडोल के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि " उक्त प्रकरण से संबंधित रास्ते के विवाद को लेकर इसी खसरा नंबरान के बाबत् प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण की सुनवाई नहीं कर आगामी तारीख पेशी से अवगत कराने की कृपा करावे । उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि इस जमीन में से अगर रास्ता तरमीम हुआ तो मेरे साथ घोर अन्याय होगा । " उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 में विवादित आराजियात में रास्ता दिये जाने के संबंध में विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में पक्षकार बनने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 के पैरा संख्या 1 में स्पष्ट अंकित किया है कि "थोराड़ा की ढाणी में निवास करने वाले परिवारों के लिये वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा कच्चा रास्ता मुहामी व भूडोल की खातेदारी भूमि में से होकर गुजरता है जो उक्त ढाणी हेतु लघुतम मार्ग है जिसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट है । उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में अंकित किया कि ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687 व 287 कुल रकबा 0.06 है0 व 1.04 है0 में से 10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है । चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक प्रचलित रास्ता नहीं है ।" तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांटस की आराजियात में से पूर्व से रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है । अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में भी वैकल्पिक मार्ग के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है केवल मात्र पक्षकार नहीं बनाने का कथन किया है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 12.1.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर